

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 283/12

संस्थापन दिनांक :- 15/06/12

फाईलिंग नं. 233504000462012

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

संतोष पिता रामचरन स्वीपर, उम्र 32 वर्ष  
 निवासी बोड़खी, थाना आमला,  
 जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- ( नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 01.09.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 14.06.2012 को समय शाम 05:00 बजे या उसके लगभग शर्मा मार्केट बोड़खी में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 13 इंच को आधिपत्य में रखकर म.प्र. राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 14.06.2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शर्मा मार्केट बोड़खी में अभियुक्त एक लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है, जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त छुरी लिए मिला जिसे स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा छुरी रखने के संबंध में कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 239/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.06.2012 को समय शाम 05:00 बजे या उसके लगभग शर्मा मार्केट बोड़खी में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 13 इंच को आधिपत्य में रखकर म.प्र. राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 आर.के. दुबे (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 14.06.2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ शर्मा मार्केट बोड़खी पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिए मिला जिस पर उसने अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा तथा अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 239/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए1 को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।

6 जाकिर खान (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि वह दिनांक 14.06.2012 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को टी.आई. आर.के. दुबे के साथ हमराह बोड़खी जाना जहां अभियुक्त हाथ में चाकू लेकर चिल्ला चोट कर रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया था जिससे टी.आई. साहब ने जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी।

7 प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी विजय एवं कमलेश के अदम पता हो जाने से उनकी साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी है। अभिलेख पर आर.के. दुबे (अ.सा.-2) एवं जाकिर खान (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच

साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 आर.के. दुबे (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर शर्मा मार्केट बोड़खी मौके पर जाना तथा वहां पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी गवाहों के समक्ष जप्त कर मौके पर सीलबंद करना, अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। जाकिर खान (अ.सा.-1) जो कि हमराह स्टाफ था। साक्षी ने यह बताया है कि वह टी.आई. साहब के साथ और अन्य स्टाफ के साथ मौके पर गया था।

9 जाकिर खान (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह शासकीय वाहन से मौके पर गया था। स्टाफ के अन्य लोग भी गये थे और सारी कार्यवाही टी.आई. साहब ने की थी। आर.के. दुबे (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में साक्षी को सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि प्रकरण में रवानगी एवं वापसी रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वह नहीं बता सकता कि कितने बजे रवाना हुआ और कितने बजे थाने वापस आया। इसके अतिरिक्त साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा की गयी अनुसंधान कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है।

10 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) पर अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। विवेचक साक्षी आर.के. दुबे (अ.सा.-2) के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि मौके पर जप्तशुदा आयुध की नाप किस चीज से की गयी तथा आयुध के धारदार होने के संबंध में भी साक्षी ने कोई कथन नहीं किये हैं और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। अभिलेख पर रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती एवं अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 14.06.2012 को समय शाम 05:00 बजे या उसके लगभग शर्मा मार्केट बोड़खी में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 13 इंच को आधिपत्य में रखकर म.प्र. राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः

अभियुक्त संतोष को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)